प्रेषक,

बी0बी0 सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) संबंधित जिलाधिकारी,
(2) उपायुक्त(खाद्य),
मेरठ, फैजाबाद, गोरखपुर, लखनऊ ।
(3) जिलापूर्ति अधिकारी,
गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, सुल्तानपुर, गोरखपुर, सीतापुर, रायबरेली।

खाद्य एवं रसद अनुभाग–6 लखनऊ : दिनांक: 31 मार्च, 2008

विषयः–भारत सरकार की वित्तीय सहायता से प्रदेश के छः जनपदों में पायलट बेसिस पर कियान्वित की जा रही ई–डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के कियान्वयन विषयक ।

महोदय,

अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0 के अर्धशासकीय पत्र सं0–71/78.2.2008 9आईटी/06, दिनांक 10 जनवरी, 2008 के कम में आपको अवगत कराना है कि नेशनल–ई–गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के 6 जनपदों गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, सुल्तानपुर, गोरखपुर, सीतापुर, रायबरेली में ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना पॉयलट रूप में लागू की जा रही है, जिसके सफलतापूर्वक कियान्वयन के उपरान्त इसे राज्य के समस्त जनपदों में लागू किया जाना प्रस्तावित है।

2– ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत खाद्य एवं रसद विभाग से सम्बन्धित निम्न दो सेवाओं (1) राशन कार्ड निर्गमन व्यवस्था (2) जन शिकायत अनुश्रवण एवं निस्तारण की व्यवस्था को इलेक्ट्रानिक माध्यम से जन सामान्य को उपलब्ध कराया जाना है। यह योजना भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है तथा उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये तीन कन्सलटेन्ट मै0 प्राईस वाटर हाऊस कूपर्स, मै0 विप्रो एवं मै0 3–आई इन्फोटेक द्वारा दो–दो जनपदों में परियोजना के कियान्वयन का कार्य किया जा रहा है। योजना के कन्सलटैन्ट्स द्वारा परियोजना के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं का "As-is" अध्ययन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा "To-be-process" एवं फंक्शनल रिक्वायरमेण्ट स्पेसिफिकेशन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। योजना के कन्सलटैन्ट्स द्वारा इस दिशा में कार्य करते हुए राशन कार्ड निर्गमन तथा जन शिकायत निस्तारण की प्रस्तावित इलेक्ट्रानिक व्यवस्था का एक प्रकिया प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसकी छायाप्रति आपको सुगम संदर्भ हेतु संलग्न की जा रही है। कृपया इनका अध्ययन करके तद्नुसार अपने जनपद में इस परियोजना के कियान्वयन की आवश्यक तैयारी पूर्ण करा लें। इस कार्य में आप अपने जनपद के लिए निर्दिष्ट कन्सलटैन्ट से सम्पर्क एवं समन्वयक स्थापित करते हुए कार्यवाही करायें। उल्लेखनीय है कि पायलेट बेसिस पर यह परियोजना 01 सितम्बर, 2008 से आरम्भ की जायेगी।

3– सम्बन्धित मण्डलीय उपायुक्त (खाद्य) इन जनपदों में इस योजना के सफल कियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु नोडल अधिकारी नामित किये जाते हैं। कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करा कर अनुपालन/स्थिति आख्या एक पक्ष में उपलब्ध करायें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,
(बी0बी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0 के अर्धशा0 पत्र सं0–71/78.2.2008 9आईटी/06, दिनांक 10 जनवरी, 2008 के संदर्भ में ।
(2) श्री रोहित श्रीवास्तव 3–आई–इन्फोटेक एवं श्री अमित शुक्ला विप्रो इन्फोटेक ।
(3) आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ ।

आज्ञा से,
(बी0बी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।